



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc2.iko-mef@nic.in, goimcofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/160/2023/एफ.सी. 1206

दिनांक : 07.08.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/150065/2021

विषय: जनपद मीरजापुर के कैमूर वन्यजीव प्रभाग के हलिया रेंज के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा भटवारी-मतवार सम्पर्क मार्ग, मतवरिया-मतवार सम्पर्क मार्ग, बढौही परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, फुलियारी सम्पर्क मार्ग, सिलहटा सम्पर्क मार्ग, मेंजा बाध (ददरी) से नदना वाया मटिहरा- सगरा सम्पर्क मार्ग व खरिहट खुर्द से केडवर सम्पर्क तक सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 34.902 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 156 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-146/81-2-2023-800(173)/2023, दिनांक 27.06.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पुनः निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the GIS DSS demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the Reserve Forest area in Badouhi to Parsyia road and Matwaria to Matwar road are demarcated as Non-forest Land. This needs rectification.
2. The Net suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 32.31 ha, which is lower than the actual required CA land area.
3. As per the GIS DSS some parts of the proposed CA land of Dadri Gharia (3 patches) and Danti village (18 patches) fall under the Forest area. This needs rectification.
4. As per the KML file approx. 0.013246 ha isolated CA land in Bela village has been proposed.
5. CA land has been proposed in scattered format. As per FCA rules and guidelines consolidated patches of CA of area not less than 5 ha land adjacent to forest blocks should be proposed for CA.
6. Submitted cadastral map is non Geo-rectified. Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.
7. Cost benefit analysis needs to be re-worked upon in view of revised rates of NPV.
8. Approval of the Standing Committee of National Board of the Wildlife (NBWL) to the project needs to be submitted.
9. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned Divisional Forest Officer (DFO) needs to be submitted.
10. Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव पश्चिम क्षेत्र, कानपुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
5. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 355 /11-सी-FP/UP/Road/150065/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त ०४, 2023

- प्रतिलिपि— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त बिन्दु सं०-08 के संबंध में वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।